विजय कुमार,
आई०पी०एस०

डीजी परिपत्र सं0 - 44 /2023
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
दिनांक: अक्टूबर 20, 2023

विषयः- एक ही घटना या एक ही संव्यवहार में घटित घटनाओं के आधार पर सृजित अपराध हेतु एक से अधिक एफ.आई.आर. पंजीकृत न किये जाने के संबंध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

एक ही संव्यवहार की घटनाओं के आधार पर सृजित अपराध /अपराधों हेतु एक से अधिक प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत न किये जाने के सम्बन्ध में पार्श्वांकित बाक्स में अंकित परिपत्रों के माध्यम से पूर्व में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं। मुख्यालय स्तर पर अनेक प्रकरण संज्ञान में आये हैं, जिसमें एक ही संव्यवहार में घटित घटनाओं के आधार पर एक से अधिक प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी है, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि कमिश्नरेट/जनपद के अधिकारियों द्वारा पूर्व निर्गत दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित नहीं कराया जा रहा है।

डीजी परिपत्र सं0-36/2022 दि0-01.11.2022
डीजी परिपत्र सं0-44/2019 दि0-28.09.2019
डीजी परिपत्र सं0-21/2016 दि0- 26.04.2016

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील (क्रिमिनल) संख्या-689/2001 टी0टी0 एन्टोनी वनाम केरल राज्य एवं अन्य में एक ही घटना या एक ही संव्यवहार में घटित घटनाओं के आधार पर सृजित अपराध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है —

"The scheme of the Cr.P.C. is that an officer in charge of a Police Station has to commence investigation as provided in Section 156 or 157 of Cr.P.C. on the basis of entry of the First Information Report, on coming to know of the commission of a cognizable offence. On completion of investigation and on the basis of evidence collected he has to form opinion under Section 169 or 170 of Cr.P.C., as the case may be, and forward his report to the concerned Magistrate under Section 173(2) of Cr.P.C. However, even after filing such a report if he comes into possession of further information or material, he need not register a fresh FIR, he is empowered to make further investigation, normally with the leave of the court, and where during further investigation he collects further evidence, oral or documentary, he is obliged to forward the same with one or more further reports; this is the import of sub-section (8) of Section 173 Cr.P.C. From the above discussion it follows that under the scheme of the provisions of Sections 154, 155, 156,157, 162, 169, 170 and 173 of Cr.P.C. only the earliest or the first information in regard to the commission of a cognizable offence satisfies the requirements of Section 154 Cr.P.C. Thus there can be no second F.I.R. and consequently there can be no fresh investigation on receipt of every subsequent information in respect of the same cognizable offence or the same occurrence or incident giving rise to

.....2

one or more cognizable offences. On receipt of information about a cognizable offence or an incident giving rise to a cognizable offence or offences and on entering the F.I.R. in the station house diary, the officer in charge of a Police Station has to investigate not merely the cognizable offence reported in the FIR but also other connected offences found to have been committed in the course of the same transaction or the same occurrence and file one or more reports as provided in Section 173 of the Cr.P.C.

A just balance between the fundamental rights of the citizens under Articles 19 and 21 of the Constitution and the expansive power of the police to investigate a cognizable offence has to be struck by the Court. There cannot be any controversy that sub-section (8) of Section 173 Cr.P.C. empowers the police to make further investigation, obtain further evidence (both oral and documentary) and forward a further report or reports to the Magistrate. In Narangs' case it was, however, observed that it would be appropriate to conduct further investigation with the permission of the Court. However, the sweeping power of investigation does not warrant subjecting a citizen each time to fresh investigation by the police in respect of the same incident, giving rise to one or more cognizable offences, consequent upon filing of successive FIRs whether before or after filing the final report under Section 173(2) Cr.P.C. It would clearly be beyond the purview of Sections 154 and 156 Cr.P.C. nay, a case of abuse of the statutory power of investigation in a given case. In our view a case of fresh investigation based on the second or successive FIRs, not being a counter case, filed in connection with the same or connected cognizable offence alleged to have been committed in the course of the same transaction and in respect of which pursuant to the first FIR either investigation is underway or final report under Section 173(2) has been forwarded to the Magistrate, may be a fit case for exercise of power under Section 482 Cr.P.C. or under Article 226/227 of the Constitution.

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि एक ही घटना अथवा एक ही संव्यवहार में घटित घटनाओं के आधार पर एक से अधिक अभियोग पंजीकृत किया जाना विधिक दृष्टि से उचित नहीं है।

संज्ञान में आया है कि पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाहियों में भी एक ही घटना अथवा एक ही संव्यवहार में घटित घटनाओं के आधार पर एक से अधिक अभियोग पंजीकृत किये जा रहे हैं तथा इन अभियोगों की विवेचना कर पृथक-पृथक आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किये जा रहे हैं। दृष्टांत स्वरूप, मानव शरीर के विरुद्ध कारित अपराधों के अभियुक्त की गिरफ्तारी तथा अपराध कारित करने में उपयोग किये गये अवैध अस्त्र-शस्त्र की बरामदगी के उपरान्त आयुध अधिनियम की सुसंगत धाराओं में पृथक-पृथक अभियोग, अभियुक्त की निशानदेही पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-27 के अधीन वरामद किये गये अवैध असलहों के सम्बन्ध में पृथक अभियोग, अवैध असलहों की वरामदगी होने पर एक ही फर्द वरामदगी के आधार पर, गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों के विरुद्ध पृथक-पृथक अभियोग पंजीकृत कर विवेचना के उपरान्त पृथक-पृथक आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किये जाते हैं।

.....3

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील सं0-1400/2022 तारक दास मुखर्जी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 23.08.2022 में पुनः यह स्पष्ट किया गया है कि एक घटना की एक से अधिक FIR पंजीकृत किया जाना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश का संगत अंश निम्नवत है:—

> 12. "If multiple First Information Reports by the same person against the same accused are permitted to be registered in respect of the same set of facts and allegations, it will result in the accused getting entangled in multiple criminal proceedings for the same alleged offence. Therefore, the registration of such multiple FIRs is nothing but abuse of the process of law. Moreover, the act of the registration of such successive FIRs on the same set of facts and allegations at the instance of the same informant will not stand the scrutiny of Articles 21 and 22 of the Constitution of India"

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गयी उपरोक्त टिप्पणी से यह स्पष्ट है कि टी0टी0 एन्टोनी बनाम केरल राज्य व अन्य (2001)6 SCC 181 तथा उपकार सिंह बनाम वेद प्रकाश व अन्य (2004)13 SCC 292 में पारित निर्देश अभी भी प्रभावी एवं आज्ञापक है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-220(1) तथा 223(a) में भी एक ही संव्यवहार में कारित अपराधों हेतु एक ही साथ विचारण तथा इस प्रकार अपराध कारित करने वाले अभियुक्तों का संयुक्त विचारण किये जाने की व्यवस्था है। विवेचना के दौरान विवेचक के पास यह अधिकार होता है कि यदि संकलित साक्ष्य से किसी अन्य अपराध का होना पाया जाए तो सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी की जा सकती है, अतः एक ही घटना अथवा एक ही संव्यवहार में घटित घटनाओं के आधार पर विवेचना प्रचलित रहने के दौरान पुनः प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। विवेचक द्वारा ऐसे परस्पर सम्बद्ध एक क्रम में कारित एक से अधिक अपराधों, जो एक ही संव्यवहार का हिस्सा है, में क्रमबद्ध तरीके से अलग-अलग प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर दी जाती है तथा अनेक विवेचनाएँ करते हुए अलग-अलग आरोप पत्र (Charge Sheet) भी मा0 न्यायालय में दाखिल किये जाते है, जिसके परिणामस्वरूप Multiple Trials होते है। एक ही घटना अथवा एक ही संव्यवहार में घटित घटनाओं के आधार पर एक से अधिक अभियोग पंजीकृत कर विवेचना किये जाने से कागजी कार्यवाही में वृद्धि होती है तथा इन प्रकरणों के निस्तारण में मा0 न्यायालयों का अमूल्य समय भी नष्ट होता है। Multiple Trials हेतु उन्हीं साक्षियों को बार-बार मा0 न्यायालय आने में अनावश्यक समय एवं संसाधनों का अपव्यय होता है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देशों तथा विधिक व्यवस्था के आलोक में एक ही घटना अथवा एक ही संव्यवहार में घटित घटनाओं के आधार पर अलग-अलग प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत न किये जाने के सम्बन्ध में अनुपालनार्थ निम्नवत निर्देश निर्गत किये जाते हैं —

- अभियुक्त की निशानदेही पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-27 के अधीन बरामद किये

गये, अपराध कारित करने में प्रयुक्त, अवैध असलहों के सम्बन्ध में पृथक प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत न की जाए। अभियुक्त की निशानदेही पर हुई बरामदगी के अनुसार मूल अभियोग में सुसंगत धाराओं की बढ़ोत्तरी विवेचक द्वारा की जाए।

- पुलिस कार्यवाही के दौरान अभियुक्तों के पास से चोरी / लूट के वाहन अथवा अन्य वस्तुएँ बरामद होने की दशा में सर्वप्रथम इंजन नम्बर, चेसिस नम्बर अथवा अभियुक्त द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर यह ज्ञात करने का प्रयास किया जाए की बरामदशुदा वाहन या वस्तु के सम्बन्ध में जनपद/प्रदेश के अन्य थानों में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट तो पंजीकृत नहीं है। यह सूचना प्राप्त होने पर फर्द बरामदगी के आधार पर पंजीकृत अभियोग को चोरी की सूचना के आधार पर पंजीकृत मूल अभियोग के साथ संयोजित कर आरोप पत्र चोरी की सूचना के आधार पर पंजीकृत अभियोग की विवेचना करने वाले विवेचक द्वारा प्रस्तुत किया जाए।
- पुलिस कार्यवाही के दौरान यदि एक से अधिक अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाती है तथा प्रत्येक अभियुक्त के पास अवैध असलहों की बरामदगी होती है तो प्रत्येक अभियुक्त के विरुद्ध अलग प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत न की जाए बल्कि फर्द बरामदगी के आधार एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करते हुये विवेचना कर अभियुक्तों की पास हुई बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया जाए, जिसमें प्रत्येक अभियुक्त के पास हुई बरामदगी तथा बरामदगी से सम्बन्धित आरोप की सुसंगत धारा का स्पष्ट एवं विशिष्ट उल्लेख किया जाए।
- यदि पुलिस द्वारा एक से अधिक अभियुक्तों की एक साथ गिरफ्तारी की जाती है और अभियुक्तों के पास से अवैध मादक पदार्थ बरामद होते हैं तो मादक पदार्थों की बरामदगी की एक फर्द तैयार की जाए जिसमें अभियुक्तों के पास से हुई बरामदगी का मात्रा सहित स्पष्ट एवं विशिष्ट उल्लेख किया जाए तथा इस फर्द बरामदगी के आधार पर सभी अभियुक्तों के विरुद्ध एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की जाए तथा विवेचना के उपरान्त एक ही आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया जाए।
- एक ही घटना अथवा एक ही संव्यवहार में घटित घटनाओं के आधार पर एक से अधिक प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत न की जाए बल्कि उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त अन्य प्रार्थना पत्रों का समावेश मूल विवेचना में करते हुये कार्यवाही सम्पादित की जाए।
- एक ही घटना में शामिल दो पक्षों द्वारा अलग-अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर शिकायत की जाती है तो इन प्रार्थना पत्रों के आधार पर पृथक-पृथक क्रॉस एफ.आई.आर. पंजीकृत की जा सकती है। एक ही घटना के आधार पर पंजीकृत क्रॉस एफ.आई.आर. की विवेचना एक ही विवेचक द्वारा की जायेगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इनका विचारण एक साथ हो।
- उपरोक्त विशिष्ट दृष्टांतों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकरण में यदि यह प्रतीत होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने के लिये प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र एक ही घटना या एक ही संव्यवहार में घटित घटना पर आधारित है तथा इस सम्बन्ध में पूर्व में अभियोग पंजीकृत है

तो सम्पूर्ण प्रकरण का गहनता से परीक्षण करते हुये यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि एक ही घटना या एक ही संव्यवहार में घटित घटनाओं के आधार पर एक से अधिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (Multiple FIR) पंजीकृत न हो।

- विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य से यदि किसी अन्य अपराध के कारित किये जाने का तथ्य प्रकाश में आता है तो विवेचक द्वारा सुसंगत धाराओं की बढ़ोत्तरी करते हुये विवेचना की जायेगी तथा सभी अभियोगों के लिये या तो एक ही आरोप पत्र प्रस्तुत किया जायेगा अथवा आवश्यकतानुसार पूरक आरोप पत्र प्रस्तुत किया जायेगा

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त संदर्भित न्यायिक निर्णयों एवं उनके अनुपालनार्थ परिपत्र में वर्णित निर्देशों का आप स्वयं गम्भीरता से अध्ययन कर लें तथा कार्यशाला का आयोजन कर कमिश्नरेट/जनपद में नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों/थानाध्यक्षों/विवेचकों को अवगत करायें एवं परिपत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुये सतर्क कर दें कि वे अपने दायित्वों के निर्वहन में किसी प्रकार की लापरवाही/उदासीनता अथवा शिथिलता न बरतें। भविष्य में यदि इन निर्देशों के उल्लंघन किये जाने का कोई प्रकरण इस मुख्यालय के संज्ञान में आता है तो सम्बन्धित पुलिसकर्मियों के अतिरिक्त पर्यवेक्षण अधिकारियों के विरुद्ध भी नियमानुसार कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विजय कुमार)

1. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित की कृपया उपरोक्त निर्देशों के सम्बन्ध में आप अपने पर्यवेक्षणीय जनपदों में गोष्ठी कर समस्त विवेचकों को विस्तार से अवगत कराकर प्रशिक्षित करें तथा जनपदवार अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर इस मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. समस्त पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट, उ0प्र0 को अनुपालनार्थ।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0 को अनुपालनार्थ।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद/रेलवेज, उ0प्र0को अनुपालनार्थ।

<u>प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु</u> :—

1. पुलिस महानिदेशक, सीबीसीआईडी/एसआईटी/सहकारिता प्रकोष्ठ उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन/रेलवेज/एटीएस/एसटीएफ उ0प्र0।
3. पुलिस उपमहानिरीक्षक, एण्टी नॉरकोटिक्स टास्क फोर्स, उ0प्र0।